हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/13 से 03/14 तक

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल शिमला–9 के लेखाओं अवधि 04/13 से 03/14 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री बी0के0 त्रिवेदी अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:–

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनाँक 31.3.2014 को स्टॉफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4(क)	4.89
2	विविध अग्रिम का समायोजन न करना	4(ख)	4.09
3	विभिन्न संविदाकारों को दिये गये सुरक्षित अग्रिमों का लम्बी अवधि से वसूली न करने बारे	5	44.57
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से निक्षेप निर्माण कार्यों उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	6	5062.77
5	संविदाकार के बिल से अनुबन्ध की धारा–2 के अन्तर्गत अधिरोपित जुर्माना राशि की कटौती बिल से न किया जाना	7 (1)	4.04
6	संविदाकार के चलत बिल से सुरक्षित अग्रिम की राशि की नियमानुसार कटौती कम करने बारे	7 (2)	1.40

7	वाहनों के ईंधन खपत निर्धारित माप दण्डों से अधिक करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	8	1.09

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "क"** में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट में निम्न विवरणानुसार 54 पैरे शेष है।

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1	04 / 92 से 03 / 93	1	
2	04 / 95 से 03 / 96	1	
3	04 / 97 से 03 / 98	1	
4	04 / 98 से 03 / 99	1	
5	04 / 99 से 3 / 2000	1	
6	04 / 2000 से 03 / 2001	2	
7	04 / 2001 से 03 / 2002	2	
8	04 / 2002 से 03 / 2003	1	
9	04 / 2003 से 03 / 2004	3	
10	04 / 2004 से 03 / 2005	2	
11	04 / 2005 से 03 / 2006	5	
12	04 / 2006 से 03 / 2007	2	
13	04 / 2007 से 03 / 2008	4	
14	04 / 2008 से 03 / 2009	6	
15	04 / 2009 से 03 / 2010	8	
16	04 / 2010 से 03 / 2011	5	
17	04 / 2011 से 03 / 2012	5	
18	04 / 2012 से 03 / 2013	4	
	कुल योग	**54**	

अतः अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल शिमला–9 उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला के लेखों अवधि 4/13 से 3/14 तक का अंकेक्षण कार्य श्री अनिल कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा श्री बी0एस0 कंवर, उप निदेशक (अंकेक्षण) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09 के पर्यवेक्षण में दिनांक 8.12.14 से 2.1.15 तक एस0डी0ए0 कम्पलैक्स शिमला में किया गया। माह 3/2014 के व्यय वाउचरों के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल, शिमला के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख तथा सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के गलत एवं अपूर्ण होने की अवस्था में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

उक्त संस्था के अवधि 04/2013 से 03/2014 तक के अंकेक्षण शुल्क की गणना तथा मांग अलग से की जाएगी।

4 स्टाफ अग्रिम तथा विविध अग्रिम की असमायोजित राशियों के बारे में:–

(क) दिनांक 31 03.14 तक स्टाफ अग्रिम ₹488654/– समायोजन हेतु शेष :–

अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.14 तक स्टाफ को दिए गए अग्रिम ₹488654/–का समायोजन लम्बित था जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	दिनांक 31.03.14 तक असमायोजित अग्रिम की राशि (₹) में
1	श्रीमती रजनी दुगल	सहायक अभियन्ता	25917
2	श्री नरेश कुमार	सहायक अभियन्ता	9424
3	श्री सुरेन्द्र कुमार	चालक	79162
4	श्री रोशन लाल	चालक	7279
5	श्री राजेन्द्र पाल	चालक	268430
6	श्री सुरेन्द्र सिंह	चालक	(–)8951
7	श्री दुनी चन्द	चालक	(–)1952
8	श्री दिनेश कुमार	चालक	10084
9	श्री नन्द लाल	चालक	1410
10	श्री नरेश कुमार	चालक	8975
11	श्री दुर्गा दास	चालक	1560
12	श्री सुरेश सुमन	चालक	(–)787
13	श्री जगदीप कुमार	चालक	(–)7696
14	श्री सुरेश कुमार	चालक	9708
15	श्री सुनील कुमार	क्लीनर	12106
16	श्री रमेश कुमार	चालक	29695
17	श्री प्रकाश चन्द	चालक	20001
18	श्री मनोहर लाल	चालक	15289
19	श्री दुर्गा राम	चालक	9000
			कुल योग ₹488654

हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की गई उक्त विवरणानुसार कुछ एक कर्मचारियों के पास गत कई वर्षों से काफी अधिक राशियाँ समायोजन हेतु शेष है। जिनकी वसूली हेतु शीघ्र एवं ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्र सुनिश्चित हो सके अन्यथा अग्रिम राशियों की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से पैनल ब्याज सहित वसूली की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) दिनांक 31.03.14 को विविध अग्रिम ₹409183.40 समायोजन हेतु शेष :–

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण शिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.14 तक विविध अग्रिम ₹409183.40 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	कर्मचारी/संस्था का नाम	दिनांक 31.03.14 को असमायोजन हेतु बकाया
1	निदेशक, रूरल हाऊसिंग विंग शिमला	4,794.55
2	निदेशक, आर0आई0डी0 शिमला	5,775.20
3	एम0डी0(एच0पी0एम0सी0 शिमला)	950.55
4	निदेशक, इण्डस्ट्रीज शिमला	369.60
5	इन्स्टीटयूट ऑफ इन्जीनियरिंग शिमला	721.50
6	श्री दिनेश कुमार, चालक	23874.00
7	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	43027.00
8	श्री नरेश कुमार, चालक	1332.00
9	श्री सुरेन्द्र कुमार, चालक	9343.00
10	श्री दुर्गा दास, चालक	157789.00
11	श्री राजेन्द्र पाल, चालक	147050.00
12	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	1984.00
13	मै0 शर्मा एण्ड को0 शिमला	306.00
14	श्री जगदीप कुमार चालक	11043.00
15	श्री रोशन लाल चालक	824.00
		कुल योग ₹409183.40

अतः अधिशाषी अभियन्ता उक्त अग्रिम राशियों का समयवध समायोजन हेतु उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 विभिन्न संविदाकारों से ₹44.57 लाख के सुरक्षित अग्रिम की वसूली शेष :–

मण्डल द्वारा बिजली निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम राशियों के रूप में किये भुगतान में से दिनांक 31.03.14 को ₹4456524/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। इसमें से कुछ एक संविदाकारों को लगभग

7–8 वर्ष पहले सुरक्षित अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था परन्तु अभी तक इन राशियों का समायोजन/वसूली नहीं की गई। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–2 आपत्तियॉ उठाई गई थी। अतः सुरक्षित अग्रिम राशियों की वसूली संविदाकारों/उचित स्त्रोत से यथाशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाएं।

क्रम संख्या	**संविदाकार का नाम**	**अनुबन्ध संख्या**	**राशि (₹) में**
1	मैसर्ज सांई इलैक्ट्रीकल संजौली, शिमला–6	24 वर्ष 2010–11	363825.00
2	मैं0 कालरा हार्डव्येर एंड इलेक्ट्रोनिक्स स्टोर, शिमला	5 वर्ष 2004–05	50145.00
		6 वर्ष 2011–12	34125.00
3	मैं0 शर्मा एंड को0 शिमला	22 वर्ष 2005–06	260865.00
4	मैं0 चढा एंड कम्पनी सोलन	10 वर्ष 2007–08	28350.00
		13 वर्ष 2011–12	357431.00
		9 वर्ष 2011–12	375550.00
5	श्री प्रकाश चन्द (संविदाकार) नजदीक बी0सी0एस0, शिमला	2 वर्ष 2009–10	24420.00
		10 वर्ष 2009–10	18749.00
6	मै0 कुमार इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	12 वर्ष 2010–11	282081.00
		15 वर्ष 2010–11	533739.00
		17 वर्ष 2012–13	1791011.00
7	मैं0 भारद्वाज इलैक्ट्रीकल कम्पनी, न्यू शिमला–9	5 वर्ष 2008–09	247200.00
		13 वर्ष 2012–13	89033.00
		कुल योग	**₹4456524.00**

6 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के लिए जमा राशि ₹5062.77 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना :–

विद्युत मण्डल शिमला द्वारा कार्यों "प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलैक्ट्रीकल इन्स्टालेशन" के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास दिनांक 31.03.14 तक ₹506276964/– की राशि जमा करवाई गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है लेकिन अभी

तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए यद्यपि इन जमा राशियों से अधिकांश निर्माण कार्यों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा पूर्ण कर लिए गये है। जिन्हें अब प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कोई राशि शेष रहती है तो उसे वापिस लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। पूर्ण किए गए कार्य क्या प्रस्तुत प्राकलन जिसके आधार पर राशि जमा करवाई गई थी के अनुरूप थे, के बारे में विभागीय जाँच करवाना सुनिश्चित करें। यदि प्रस्तुत प्राकलन व वास्तव में किए गए कार्य में कोई विचलन हो तो इस विचलन का कार्य के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन विभागीय तौर पर करवाना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 निर्माण कार्यः–

(1) निर्माण कार्य का नामः– "C/O Education Hub at Kalujhandha Baddi, Distt. Solan (SH:- Providing Road lighting educational Hub at Kalujhandha)

ठेकेदार का नामः– मैसर्ज Kumar Electronics Co. Govt. Contractor, Shop No. 5 Bachat Bhawan, Una (HP)

अनुबन्ध संख्याः– 17 वर्ष 2012–13

M.B. No. 208/08 Page 57 to 62

आंबटन पत्र सं0 HB-PP&E/W-7/2010-1923-28 dated 3.10.12

कार्य करने का समय 6 माह

Awarded Amount ₹4043908.19

वाऊचर संख्या 29 माह 3/14 राशि ₹1458980/–

Providing Road lighting Educational Hub at Kalujhanda का निर्माण कार्य संविदाकार मै0 कुमार ईलैक्ट्रिोनिक्स को0, दुकान संख्या 5, बचत भवन, ऊना हिमाचल प्रदेश को आँबटन पत्र संख्या HB-PP & E/W-7/2000-1923-28 dt. 3.10.2012 के तहत से आंबटित किया तथा कार्य को आंबटित पत्र में दी शर्तों के अनुसार दिनाँक 17.10.12 को आरम्भ कर दिनाँक 16.4.13 को पूर्ण करना था। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा दी समय अवधि पर न करने पर विद्युत मण्डल द्वारा अनुबन्ध में दी धाराओं (Clauses) के अन्तर्गत कार्य की प्रगति को बढ़ाने तथा शीघ्र पूर्ण करने हेतु समय–2 पर नोटिस जारी किये गये परन्तु कार्य को पूर्ण न करने

पर अधीक्षक अभियन्ता (नोर्थ) के चैम्बर में दिनाँक 27.6.13 को अनुबन्ध की धारा–2 (Clause-2) के अन्तर्गत सुनवाई की गई जिसमें अधीक्षक अभियन्ता (नोर्थ) ने संविदाकार को दिनाँक 26.8.13 तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने का समय देते हुये अभियन्ता विद्युत मण्डल को यदि संविदाकार दिनाँक 26.8.13 तक कार्य पूर्ण नहीं करता, अनुबन्ध में दी धाराओं के अन्तर्गत संविदाकार के विरूद्व कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी।

संविकार द्वारा अधीक्षक अभियन्ता (N) द्वारा Clasue-2 की सुनवाई के अन्तर्गत दी समय अवधि पर भी कार्य पूर्ण नहीं किया तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत मण्डल ने पत्र संख्या HIMUDA-PP&E/Agr. No.-17 of 2012-13/12-1418-20 दिनाँक 20.9.13 को अनुबन्ध की (धारा)–2 के अन्तर्गत आंबटन राशि ₹4043908.19 का 10**%** की जुर्माना राशि ₹404391/– लगा दी। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को 03.03.14 को जो द्वितीय चलत बिल का भुगतान किया गया उसमें से जुर्माना राशि ₹404391/– की कटौती करके भुगतान किया जाना अपेंक्षित था जबकि विद्युत मण्डल ने द्वितीय चलत बिल से जुर्माना राशि ₹404391/– की कटौती किये बिना द्वितीय चलत बिल का भुगतान कर दिया गया जोकि अनियमित था और ठेकेदार के बिल से जुर्माना राशि की कटौती न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा ठेकेदार पर अधोरोपित जुर्माना राशि ₹404391/– की वसूली संविदाकार से उसके निर्माण कार्यों के बिलों से करके मण्डल खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

(2) संविदाकार से Secured Advance ₹1.40 लाख की कम वसूली करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार को उक्त निर्माण कार्य के लिए उपयोग हेतु जिस सामग्री का Secured Advance का भुगतान किया गया था उसकी वसूली/कटौती उतनी सामग्री के बराबर/हिसाब से आगामी चलत बिलों से कर ली जानी चाहिये थी जितनी संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य पर उपयोग कर ली गई थी। ठेकेदार के उक्त निर्माण कार्य के IInd remaining Bill की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पर निम्नलिखित सामग्री जिसके विस्तृत Secured Advance दिया गया था कार्य पर उपयोग कर लिया गया था:–

क्र0सं0	मद का ब्यौरा	निर्माण कार्य पर सामग्री की खपत का ब्यौरा
1	Cavical Pole 9 mtr. long	88 No.
2	S/F/F Single Arms Brackets 1500mm	88No.

3	Street Light			67 No.	
4	Armouned Cable 4x16 mm			2128m2	

अतः नियमानुसार ठेकेदार से उक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत से निम्नलिखित विवरणानुसार वसूली की जानी बनती थी।

1	Cavical Pole 9 mtr.	88 No.	12800	1226400
2	S/F/F Single arm Brackets 1500mm	88No.	1850	162800
3	Street Light	67 No.	9000	603000
4	Armouned Cable 4x16 mm	2128m2	200	425000
			Total	**2317800**
			75% of the Total	**1738350**
			Less(-)10%	**173835**
			जितनी वसूली की जानी थी	**1564515**

जबकि ठेकेदार के द्वितीय चलत बिल से Secured Advance की राशि ₹1424598/– की वसूली की गई इस प्रकार ठेकेदार के बिल से ₹139917/– की Secured Advance की कम वसूली करके संविदाकार को अनुचित लाभ दिया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व संविदाकार से ₹139917/– की वसूली अब अविलम्ब सुनिश्चित की जाए।

(3) निर्माण कार्य का नामः– "C/O PSFS at Sanjauli PH-III (SH:- Providing internal E.I. 2 No. Cat-I Flats in block No. 34, 35, 36 and 37)

संविदाकार का नामः– श्री प्रकाश चन्द शर्मा

आंबटित राशि (Awarded Amount) ₹1002418

अवार्ड पत्र संख्या (Award Letter No.) HB-PP and E/W-7/2005-1335-40 दिनाँक 9.9.09

अनुबन्ध संख्या (Agreement no.) 10 ऑफ 2009–10

माप पुस्तिका सं0 237/13 पृष्ठ 20 से 26

चलत बिल संख्या 7

वाऊचर संख्या 31 माह 3/14 राशि ₹48513/–

Providing internal E.I. 21 Nos Cat. I flats in Block No. 34, 35, 36 and 37 निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए Award Letter जारी करने से 15 दिन के पश्चात कार्य को आरम्भ करके एक साल के भीतर पूर्ण करने की समय अवधि थी जिसके अनुसार कार्य को दिनाँक 23.9.09 को शुरू कर

22.9.10 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था जबकि यह निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि पर पूर्ण न करने के फलस्वरूप मण्डल द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/PP&E/W-7/2012-1951-53 दिनाँक 9.10.12 को उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए संविदाकार को दिनाँक 31.12.12 तक Provisional Extension दी गई जबकि अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य को 3/14 तक भी पूर्ण नहीं किया गया था। विद्युत मण्डल द्वारा न तो दिनाँक 31.12.12 के पश्चात संविदाकार को समय बढ़ौतरी प्रदान की गई और न ही अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

उक्त के अतिरिक्त सातवें चलत बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 237/13 पृष्ठ 20 से 26 की जाँच करने पर पाया गया कि विद्युत मण्डल द्वारा संविदाकार को गत बिलो पर जिन मदों के पार्ट रेट दिये गये थे उन मदों को सातवें चलत बिल में full rates देकर ₹48513/– का भुगतान किया गया जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये कि जब ठेकेदार द्वारा निर्माण स्थल पर कोई कार्य किया ही नहीं गया तो सातवें चलत बिल में पार्ट रेट के स्थान पर Full rate लगाकर भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(4) निर्माण कार्य का नामः– "Housing Colony at Basal Distt. Solan (H.P.) PH-II C/O 32 Nos Cat-I flats with garages/Parking floors Block No. 22, 23, 24 and 25 (SH: Providing internal E.I. Work)

फर्म/संविदाकार का नामः– M/S Electrical Traders Rampur Distt. Shimla (H.P.)

Award Letter No. HB-PP&E/W-7/2010-2124-29 dated 21.12.13

Awarded Amount ₹3660186/–

i.e. 35% above of amount put to tender i.e. ₹2705376

आंबटन की तिथिः– 21.12.13

आरम्भ करने की तिथि सिविल वर्कस पूर्ण होने पर 1 महीने का समय

माप पुस्तिका संख्या 232/11 पृष्ठ 8 से 9

वाऊचर संख्या 60 माह 3/14 राशि ₹1251263/–

32 Nos Cat I Flats with garges parking floor block No. 22, 23, 24 and 25 (SH Providing internal (E.I.) निर्माण कार्य को आरम्भ माप पुस्तिका संख्या 232/11 पृष्ठ 10 से 24 के अनुसार 4.01.14 को आरम्भ किया गया था जिसके अनुसार कार्य 3.2.14 को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि तृतीय (3rd) चलत बिल तक ₹2991571/– का कार्य किया जा चुका था। इस निर्माण कार्य में मण्डल द्वारा

निर्माण कार्य को करने की समय में बढौतरी नहीं दी गई थी जबकि अनुबन्ध में दी धाराओं के अन्तर्गत यदि संविदाकार निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करता तो उस संविदाकार पर आंबटित राशि पर 10**%** जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इस कार्य में न तो समय अवधि में बढ़ौतरी की गई और न संविदाकार को अनुबन्ध की धारा–2 के तहत आंबटित राशि ₹3660186/– पर 10**%** की दर से ₹366019/– का जुर्माना अधिरोपित किया गया। अतः संविदाकार को समयवध कार्य पूर्ण न करने पर ₹366019/– का जुर्माना न लगाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुबन्ध की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अब की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

8 वाहनों की ईधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से अधिक होने के फलस्वरूप ₹108749.26 की वित्तीय हानिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी0ए0डी0–ए(डी)–1–98 दिनांक 21.01.97 द्वारा सरकार ने विभिन्न वाहनों की पैट्रोल/डीजल की औसत खपत प्रति लीटर किलोमीटर निम्न प्रकार से हैः–

वाहन	**स्थानीय यात्रा प्रति लीटर**	**लम्बी दूरी की यात्रा प्रति लीटर**
कन्टैसा कार	6 कि0मी0	7.50 कि0मी0
अम्बैस्डर कार	6 कि0मी0	7.50 कि0मी0
मारूति जिप्सी	8 कि0मी0	9.00 कि0मी0
मारूति बैन	9कि0मी0	10.00 कि0मी0

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वाहनों की औसत प्रति लीटर कि0मी0 के उपरोक्त मापदण्ड न केवल हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों/बोर्डों इत्यादि की भान्ति हिमुडा के वाहनों पर भी अक्षरशः लागू होते है अपितु इन माप दण्डों को लागू करने के लिए सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा द्वारा भी अनुदेश जारी किए गए है। इन अनुदेशों की पालना न होने की स्थिति में ईधन की अधिक खपत की अवस्था से सम्बन्धित चालकों से वसूली की जानी अपेक्षित थी, इस बारे आपत्ति को बार–2 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा हिमुडा प्रावधान के ध्यान में लाया जाता रहा है परन्तु इस मामले में कोई भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके फलस्वरूप तेल की अधिक खपत के कारण वाहन चालकों के विरूद्ध अनावश्यक वसूली में बढ़ौतरी हो रही है। यह प्रकरण सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा के विशेष ध्यानार्थ लाते हुये यह भी परामर्श देता है कि जो वाहन बहुत पुराने

है और तेल की खपत सरकार द्वारा जारी निर्देशों में दिये मापदण्डों के अनुसार नहीं आ रही है। उन वाहनों की तेल खपत की औसत एक कमेटी बनाकर निकाले और वाहनों की तेल खपत अनुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र करें तथा की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जिन वाहनो की ईधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से अधिक है उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वाहन संख्या एच0पी0–03बी–744 एस्टीम

	माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
4/13	675	33	708	67.50	3.66	71.16	85	13.84	70.82	980.15
5/13	2346	73	2419	234.60	8.11	242.71	274.09	31.38	66.45	2085.20
6/13	261	273	534	26.10	30.33	56.43	58	1.57	69.88	109.71
7/13	492	228	720	49.20	25.33	74.53	76	1.46	74.28	108.44
8/13	1007	342	1349	100.70	38.00	138.70	153	14.30	75.15	1074.65
9/13	204	414	618	20.40	46.00	66.40	65	1.40	78.10	109.34
10/13	2983	126	3109	298.30	14.00	312.30	329	16.70	76.33	1274.71
11/13	1820	232	2052	182.00	25.78	207.78	213	5.22	74.87	390.82
12/13	1864	543	2407	186.40	60.33	246.73	243	3.73	74.87	279.27
1/14	2255	299	2534	223.50	33.22	256.72	272	15.28	76.34	1166.48
2/14	1717	293	2010	171.70	32.56	204.26	207	2.74	76.15	208.65
3/14	1149	403	1552	114.90	44.78	159.68	172	12.32	76.90	947.41
										8734.83
वाहन संख्या एच0पी0–03–1623 (जिप्सी)										
	माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				

4/13	2276	314	2590	252.89	39.25	292.14	428.00	135.86	70.82	9261.60
5/13	1423	376	1799	158.11	47.00	205.11	298.00	92.89	66.45	6172.54
6/13	1870	234	2104	207.78	29.25	237.03	346.00	108.97	69.88	7614.82
7/13	1620	326	1946	180.00	40.75	220.75	332.51	111.76	74.28	8301.53
8/13	1163	189	1352	129.22	23.63	152.84	224.00	71.15	75.15	5346.92
9/13	2557	208	2765	284.11	26.00	310.11	453.00	142.89	78.10	11159.71
10/13	2290	218	2508	254.44	27.25	281.69	405.26	123.57	76.33	9432.00
11/13	2102	284	2386	233.55	35.50	269.05	356.00	86.95	74.87	6509.95
12/13	862	487	1349	55.78	60.88	116.66	262.00	145.34	74.87	10881.61
1/14	2466	148	2614	274.00	18.50	292.50	404.00	111.50	76.34	8511.91
2/14	1472	215	1687	163.56	26.88	190.44	275.00	84.56	76.15	6439.24
3/14	890	313	1203	98.89	39.13	138.02	206.00	67.98	76.90	5227.66
										94859.28
वाहन संख्या एच0पी0–07–0592 (एस्टीम)										
	माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
11/13	344	380	724	34.40	42.22	76.62	75	–	–	–
12/13	1827	380	2207	182.70	42.22	224.92	233	8.08	74.93	605.43
1/14	1131	406	1537	113.10	45.11	158.21	171	12.79	75.71	968.33
2/14	3137	738	3875	313.70	82.00	395.70	421	25.30	76.75	1941.78
3/14	976	581	1557	97.60	64.55	162.16	172	9.84	76.40	751.78
										4267.32

वाहन संख्या एच0पी0–63 (ए)–0607 (मारूति कार)										
	माह के दौरान तय दूरी			सरकार द्वारा निर्धारित प्रति लीटर की औसत पर जितने तेल की खपत			माह के दौरान ईधन की वास्तविक खपत	ईंधन की अधिक खपत	दर	राशि (₹) में
माह	लम्बी दूरी में तय दूरी	स्थानीय यात्रा की तय दूरी	कुल तय दूरी	लम्बी यात्रा पर तेल खपत	स्थानीय तेल खपत	यात्रा पर कुल खपत				
11/13	836	–	836	83.60	–	83.60	78	–	–	–
12/13	644	12	656	64.40	1.33	65	57	–	–	–
1/14	1187	24	1211	118.70	2.66	121.37	133	11.63	76.34	887.83
2/14	985	210	1195	98.50	23.00	121.50	101	–	–	–
3/14	–	12	12	–	1.33	–	–	–	–	–
										887.83

9 वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित न करनाः–

सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र संख्या जी0ए0डी0ए0(डी)–1–98, दिनांक 21.01.97 तथा जी0ए0डी0–1–1/46, दिनांक 4.2.06 के अन्तर्गत जिन वाहनों की ईंधन खपत प्रति किलोमीटर निर्धारित की है, इसके अतिरिक्त भी हिमुडा के पास ऐसे कई वाहन है जिनका उपयोग बिना सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत तेल की खपत प्रति लीटर की जा रही है। नियमानुसार वाहनों में उपयोग ईधन की खपत प्रति लीटर निर्धारित की जानी अपेक्षित थी। हिमुडा ने जिन वाहनों की ईंधन खपत औसत प्रति लीटर किलोमीटर नहीं निकाली उनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कमसं0	वाहन का विवरण
1	एच0पी0–07 (ए)–9900 (स्कोरपियो)
2	एच0पी0–51 (ए)–0024 (इनोवा)
3	एच0पी0–68 (ए)–0012 (इनोवा)
4	एच0पी0–07 सी–0022 (एस0एक्स IV)

बोर्ड द्वारा अंकेक्षण में इन वाहनों की औसतन खपत जाँचने हेतु निर्धारित माप दण्डों की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में इन वाहनों में सरकार द्वारा निर्धारित ईंधन खपत से कितनी अधिक ईंधन की खपत की गई, की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। इन वाहनों द्वारा अंकेक्षण अवधि में महावार तय की गई दूरी, ईंधन की खपत तथा प्रति लीटर ईंधन से तय की गई दूरी का विवरण निम्न प्रकार से है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सामान्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के Office Memorendum संख्या –GAD-A(D) 1-1/96-I दिनाँक 14.07.2014 द्वारा कुछ एक वाहनों की औसत खपत (एक लीटर में तय दूरी किलोमीटर) निर्धारित की है। अतः जिसके आधार पर उक्त वाहनों की औसत खपत किलोमीटर प्रति लीटर निर्धारित की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वाहन संख्या एच0पी0–07 (सी)–0022 (एस0एक्स–IV)

माह	माह के दौरान तय दूरी कि0मी0 में	माह के दौरान ईंधन की कुल खपत ली0 में	माह के दौरान वाहन की औसत कि0मी0 प्रति लीटर
4/13	1635	207	7.90
5/13	1545	191	8.09
6/13	1338	161	8.31
7/13	1398	151	9.25
8/13	949	110	8.62
9/13	2300	270	8.52
10/13	2347	271	8.66
11/13	1534	180	8.52
12/13	3932	488	8.05
1/14	2074	239	8.67
2/14	1746	203	8.60
3/14	1428	174	8.20

वाहन संख्या एच0पी0–68 (ए)–0012 (इनोवा)			
माह	वाहन द्वारा तय दूरी	माह के दौरान डलवाया ईंधन	औसत खपत
4/13	6769	825	8.20
5/13	7948	910	8.73
6/13	6895	837	8.23
7/13	5807	533	10.89
8/13	5869	729	8.05
9/13	5523	480	11.50
10/13	6436	713	9.02
11/13	5558	661	8.40
12/13	7474	841	8.88
1/14	4105	508	8.08
2/14	4894	607	8.06
1.3.14 से 29.4.14	1622	215	7.54
वाहन संख्या एच0पी0–51 (ए)–0024 (इनोवा)			
माह	वाहन द्वारा तय दूरी	माह के दौरान डलवाया ईंधन	औसत खपत
4/13	976	113	8.6
5/13	680	79	8.6
6/13	1268	149	8.5
7/13	1610	195	8.25
8/13	1914	228	8.40
9/13	2049	246.90	8.30
10/13	1620	198	8.18
11/13	1381	173	7.98
12/13	2722	320	8.50

1/14	1420	159	8.93
2/14	925	105	8.80
3/14	1542	176	8.76
वाहन संख्या एच0पी0–07 (ए)–9900 (स्कोरपियो)			
माह	माह के दौरान तय दूरी (कि0मी0 में)	माह के दौरान ईंधन की कुल खपत	माह के दौरान वाहन की औसत कि0मी0 प्रति लीटर
8/13	1348	170 लीटर	7.93
9/13	1462	187 लीटर	7.82
10/13	3509	466 लीटर	7.53
11/13	1596	205 लीटर	7.79
12/13	1563	212 लीटर	7.37
1/14	2278	298 लीटर	7.64
2/14	2616	359 लीटर	7.29
3/14	2190	286 लीटर	7.66
वाहन संख्या एच0पी0–07 (ए)–9900 (स्कोरपियो)			
माह	माह के दौरान तय दूरी (कि0मी0 में)	माह के दौरान ईंधन की कुल खपत लीटर में	माह के दौरान वाहन की औसत कि0मी0 प्रति लीटर
8/13	1348	170 लीटर	7.93
9/13	1462	187 लीटर	7.82
10/13	3509	466 लीटर	7.53
11/13	1596	205 लीटर	7.79
12/13	1563	212 लीटर	7.37
1/14	2278	298 लीटर	7.64
2/14	2616	359 लीटर	7.29
3/14	2190	286 लीटर	7.66

10 वाहन की लॉग बुक में अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य (Official) दर्शाकर वाहन का उपयोग करने बारेः–

विद्युत मण्डल, हिमुडा शिमला के लेखों अवधि 4/13 से 3/14 तक के अंकेक्षण के दौरान वाहनों की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा वाहन का प्रयोग करने के उपरान्त वाहन की लॉग बुक में कालम संख्या 9 यात्रा का उद्देश्य में केवल सरकारी (Official) दर्शाया गया था जबकि लॉग बुक के कालम यात्रा का उद्देश्य (यदि यात्रा सरकारी हो पूरा विवरण) दिया जाना अपेक्षित था। अतः अधिकारियों द्वारा वाहन की लॉग बुक में केवल यात्रा का उद्देश्य सरकारी (Official) दर्शाकर वाहन के दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और यात्रा का उद्देश्य सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सरकारी (Official) के स्थान मे ंस्पष्ट विवरण दिया जाये ताकि सरकारी वाहन से की यात्रा/उपयोग की वास्तविक वस्तुस्थिति सुनिश्चित हो सके जिन वाहनों की लॉग बुकों में अधिकारियों द्वारा यात्रा का उद्देश्य केवल सरकारी (Official) दर्शाया है उनमें से कुछ एक उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

वाहन सं0	दिनाँक	यात्रा जिस अधिकारी द्वारा की गई	यात्रा जहाँ तक की	कि0मी0
एच0पी0–63 (ए)–0607	13.02.14	Sr. Arch (N)	Shimla Local to Mandi Local	169कि0मी0
	24.02.14	E.E,. II	H/Q to SDA Computer to D.C. Office to SDA Complex to H/Q	39कि0मी0
	17.01.14	Sr. Arch (N)	Shimla to Bilaspur Local to Jagal Berry to D/Shalla Loacal	358कि0मी0
	21.01.14	Sr. Arch (N)	D/Shall to P-pur to Paprola to Mandi Local back Shimla	341कि0मी0
एच0पी0–03–1623	1.4.13	LAC	Office to Sectt. To D.C. Office to Office	14कि0मी0
	3.4.13	LAC	Office to Solan to Shlghat Local to Shimla (site inspection)	158कि0मी0
	4.4.13	Sr.L.O.	Office to SDA Computer to Office	10कि0मी0
	6.4.13	LAC	Office to Parwanoo Local to Office	214कि0मी0

			(Official) (Site inspection)	
	9.4.13	LAC	Office to Solan Local to Basal Local Shimla Official (site of inspection)	140कि0मी0
	17.4.13	LAC	Office to Rajgarh Local to Nauni Local to Solan & Back to H.Q. (Official) site inspection	166कि0मी0
	19.8.13	LAC	Office to Sanjauli Colony to D.C. Office to Sanjauli Colony to Chaborti Colony to office	66कि0मी0
	4.12.13	LAC	Office to TCP to DC Office to office	32कि0मी0
	5.12.13	Sr. L.O.	Office to SDA Complex to office	16कि0मी0
	8.5.13	LAC	Office to Solan DC office to Sheelghat to office	143कि0मी0
	10.5.13	LAC	Office to Kasauli Local to office	183कि0मी0
एच0पी.–07(ए)–0592	18.11.13	Sr. Architect	Office to Sanjauli Colony to Phase to office	36कि0मी0
	23.11.13	-do-	Office to new Shimla sut-6 to Data centre to chhabroty colony Local & back	38कि0मी0
	25.11.13	-do-	Office to D.C. Office to SDA Complex & back	18कि0मी0
	26.11.13	-do-	Office to sector IV New Shimla to M.C. Office and back to Nigam Vihar	30कि0मी0
	27.11.03	-do-	Office to Kasumpti Colony to Office to sect. IV New Shimla & back	28कि0मी0
	29.11.13	-do-	Office to Jakho Colony and back to D.C. office & back	32कि0मी0

1.1.14	-do-	Office to DC office to back to Parwanoo Local & back	212कि0मी0
2.1.14	-do-	Office to Sanjauli Colony to office to TCP & back to office	32कि0मी0
16.1.14	Staff Honble Housing Minister	Shimla Local to Parwanoo Local & back	248कि0मी0
20.1.14	Sr. Architect	Office to New Shimla Sect III to oofice to D.C. office to TCP to office	36कि0मी0
24.1.14	-do-	Office DC Office to office to new Shimla Sec. III & back to office	26कि0मी0
27.1.14	-do-	Office to Chhabroti to Phasual to office to US club to office to TCP & back	39कि0मी0
28.1.14	-do-	Office to Solan Local & Back to HPU	124कि0मी0
29.1.14	-do-	Office to DC Office to office to TCP & back to HP	24कि0मी0
30.1.14	-do-	Office to New Shimla to office to Chabroti to office to sectt. to office	23कि0मी0
31.1.14	-do-	Ofice to Sanjauli Colony to Phesual to office	33कि0मी0
21.12.13	-do-	Office to D.C. Office to office to Sector-IV New Shimla & back to office to Solan & back to office	151कि0मी0
8.2.14	Sr. Arch.	Office to Sanjauli Colony to Sector VI New Shimla to D.C. Office & back	47कि0मी0

वाहन संख्या एच0पी0—03 (बी)—0744

2.4.13	E.E. DivII	Office to Kandaghat to office to Local	98कि0मी0

		back Shimla	
3.4.13	E.E. DivII	Office to Shoghi to office to DC Office to office to chabroti back office to BCS Ph-III back Office	87कि0मी0
4.4.13	A.E. (D)	Vidhan Sabha	39कि0मी0
6.4.13	E.E. DivII	Shimla to Solan Local back Shimla	181कि0मी0
9.4.13	CEO-cum-Secy.	Office to Theog Local back Office	93कि0मी0
10.4.13	Sr. Arch	Nigam Vihar to Theog Local to Nigam Vihar to D.C. Office to Housing Colony Sanjauli & back to office	135कि0मी0
18.6.13	Sr. Arch	Shimla to Bilaspur back	185कि0मी0
19.6.13	E.D. (PA to ED)	Office to H.P. Sectt. to Office to SDA Complex office to SDA Complex to TCP back to UD to office	64कि0मी0
20.6.13	PA to ED	Office to SDA complex back office to HP Sect.. to office to SDA Complex back office to H.P. Sectt. To Office HP Sectt. To office	53कि0मी0
24.6.13	A-E Div No. II	Office to Kandaghat Local back Office	76कि0मी0
7.10.13	Sr. Arch.	Shimla to D/Shala at D/Shal	286कि0मी0
2.5.13	E.E. Div. No. II	N/Vihar to Solan Local (Sheel) back Shimla	181कि0मी0
30.5.13	CEO-cum-Sect.	Office to Sectt.& back to office to Solan & back to office	128कि0मी0
19.7.13	AE (E)	Shimla to Dutt Nagar to Jayuri to Bedhul to shush back Shimla	461कि0मी0
20.9.13	S.O. (Hsg)	Shimla Local	65कि0मी0
29.11.13	Sr. Arch	D/Pur Local to Sarkaghat Local to Ghumarwain Local back Shimla	264कि0मी0

(ख) 301 किलोमीटर वाहन संख्या एच0पी0–03–1623 का सम्भावित दुरूपयोगः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाहन संख्या–एच0पी0–03–1623 की लॉग बुक के यात्रा के उद्देश्य कालम में हिमुडा के LAC अधिकारी द्वारा Journey लिखकर 301 कि0मी0 का

उपयोग किया गया। वाहन का उपयोग सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय से धर्मशाला व लोकल किया गया। लॉग बुक में यात्रा का उद्देश्य नहीं लिखा गया है केवल यात्रा लिखकर वाहन का प्रयोग किया गया दर्शाया गया है जिसके अभाव में वाहन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा LAC अधिकारी द्वारा वाहन का उपयोग किस उद्देश्य के लिये किया गया का स्पष्ट विवरण लॉग बुक में दिया जाये लॉग बुक में प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए अन्यथा 301 कि0मी0 वाहन के उपयोग की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर दिया गया, इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

12 **निष्कर्ष :–** वर्तमान व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कारगर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)135 / 90–खण्ड–6–2249–51 दिनांक 12.05.15, शिमला–171009

प्रतिलिपि :–

1 प्रधान सचिव आवास हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–9.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला–171002.

पंजीकृत :– 3 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल फेज–III, न्यू शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

हस्ता / –

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटाने में की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/93

1	पैरा 15	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 03/96

1	पैरा 22	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/98

1	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/98 से 03/99

1	पैरा 23	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2000

1	पैरा 18	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2001

1	पैरा 11	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002

1	पैरा 15	अनिर्णीत
2	पैरा 26	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2003

1	पैरा 23	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1	पैरा 15	अनिर्णीत
2	पैरा 17	अनिर्णीत
3	पैरा 20	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005

1	पैरा 10(क) से (ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा 18	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत

5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (क,ख, ग,घ)	अनिर्णीत

(15) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010</u>

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 16	अनिर्णीत

(16) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011</u>

1	पैरा 7 (1 से 5)	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत

(17) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012</u>

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (1 व 2)	अनिर्णीत

(18) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013</u>

1	पैरा 3		(मुख्यालय द्वारा जमा की जानी थी)
2	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में वर्णित)
3	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 5	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 6	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा 7	निर्णीत	(दिये गये सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
7	पैरा 8	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (1 से 4)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	निर्णीत	
12	पैरा 13	निर्णीत	